संख्या-3/2016/2322/78-2-2015-65आई.टी./2010टी.सी.

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 दिसम्बर, 2015

विषय:- एडॉप्शन ऑफ नेशनल डाटा शेयरिंग एण्ड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एन0डी0एस0ए0पी0) एण्ड रिलीज ऑफ डाटा इन ओपन फॉर्मेट ऑन ओ0जी0डी0 प्लेटफार्म थ्रू ए0पी0आई0 के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आई.टी./ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कार्य किया जा रहा है जिसके माध्यम से सरकारी सेवायें पारदर्शिता एवं सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में इन एप्लीकेशनों द्वारा सृजित हो रहे डाटा का संचयन कर उपयोग में लाने की आवश्यकता है।

2- प्रदेश स्तर पर आई.टी./ई-गवर्नेन्स के कार्यों में और भी पारदर्शिता लाने तथा विभागों का सामान्य डाटा जो गैर संवेदनशील हो, को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने हेतु इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा नेशनल पोर्टल (Open Government Data http://data.gov.in) विकसित किया गया है जिसके माध्यम से सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों/एजेन्सियों द्वारा सार्वजनिक निधियों का उपयोग करते हुए सृजित होने वाले डाटा को उक्त पोर्टल पर इन्टीग्रेशन के उपरान्त एकत्रित किया जा सके। एक पोर्टल पर एकत्रित आकड़े/डाटा जिनका प्रयोग वैज्ञानिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण, विकासात्मक प्रयोजनों तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने इत्यादि में सहायक होंगे।

3- उक्त के क्रम में कृपया अपने विभाग में निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराना अपेक्षित है:-

(1) डाटा कन्ट्रोलर अधिकारी नामित किया जाना।

(2) डाटा एकत्रित करने/योगदानकर्ता अधिकारी को नामित किया जाना।

(3) नेशनल डाटा शेयरिंग एण्ड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एन.डी.एस.ए.पी.) सेल की स्थापना किया जाना।

(4) प्रकाशित किये जाने वाले डाटासेट निश्चित करना।

(5) ओपन गवर्नमेन्ट डाटा पोर्टल पर गैर सम्वेदनशील डाटा प्रकाशित करना।

(6) नियमित अन्तराल पर डाटा को ओ.जी.डी. पोर्टल पर प्रकाशित करने के लिये रूप-रेखा का निर्धारण करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) संवेदनशील डाटा की सूची बनाया जाना।

(8) विभाग द्वारा प्रकाशित किये गये डाटा की देख-रेख तथा प्रबन्धन किया जाना।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के डाटा को संलग्न गाइडलाईन्स के अनुसार इन्टीग्रेट कराने का कष्ट करें। उपरोक्त इन्टीग्रेशन में आने वाली किसी भी पृच्छा हेतु एन0डी0एस0ए0पी0 कक्ष संख्या-379, तृतीय तल, एन0आई0सी0 मुख्यालय, ई-मेल आई.डी.-ndsap@gov.in तथा फोन नं0-011-24363692 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या: 2/2016/2322(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, गोमती नगर, लखनऊ।
2. एस.आई.ओ., एन.आई.सी. को इस आशय से प्रेषित की वें अपने संबंधित विभागीय डाटा को पोर्टल पर इन्टीग्रेट करवायें।
3. हेड, एस0ई0एम0टी0, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।